दिनांक	आज्ञा पत्र
16/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 20/1/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर
20/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी लोगों को बार-बार आवाज लगाई गई लेकिन न्यायालय समय तक हाजिर नहीं आये। अतः आवेदन पत्र को खारिज किया जाता है। प्रार्थी अपने खर्चे व अपने हानि में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही अभिलेख अलग हो। निर्णय अलग लिखा 20/1/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। Rahak सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner